



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 30 जुलाई, 2026

श्रावण 8, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-2

संख्या 446/23-दो-2026-14(सा0)-26

लखनऊ, 30 जुलाई, 2026

अधिसूचना

प0आ0-459

चूँकि राज्य सरकार की यह राय है कि जिला-लखीमपुर खीरी में मोहाना नदी एवं करनाली नदी के कोडियाला घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट की आवश्यकता है;

अतएव, अब, उत्तरी भारत नौघाट अधिनियम, 1878 (अधिनियम संख्या 17 सन् 1878) की धारा 4 के खण्ड (ग) और (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची में यथादर्शित अपनी सीमाओं के भीतर जिला लखीमपुर खीरी में कोडियाला घाट पर एक नया सार्वजनिक नौघाट स्थापित करते हैं;

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन, राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि पूर्वोक्त दिनांक से, जिला लखीमपुर खीरी में कोडियाला घाट पर पूर्वोक्त सार्वजनिक नौघाट का तात्कालिक अधीक्षण, अधीक्षण अभियन्ता, सीतापुर/खीरी वृत्त, लोक निर्माण विभाग, सीतापुर में निहित होगा।

अनुसूची

जिला का नाम	नदी के दोनों ओर के परगना के नाम	नदी के दोनों ओर के ग्रामों का नाम	नदी का नाम जिस पर नौघाट स्थापित किया जाना है	नौघाट का नाम
1	2	3	4	5
लखीमपुर खीरी	निघासन/मिहीपुरवा (बहराइच)	चौगुर्जी, कोडियाला घाट गुरुद्वारा, जनकपुर, बाबापुरवा, जसनगर, फौआरी बाबा, भरथापुर (बहराइच)	मोहाना नदी एवं करनाली नदी	कोडियाला घाट

नौघाट की श्रेणी	नौघाट की सीमा				
	किनारा	धारा के ऊपर की ओर	दूरी	धारा के नीचे की ओर	दूरी
6	7	8	9	10	11
"ख"	बांया दांया	चौगुर्जी, कोडियाला घाट गुरुद्वारा, जनकपुर	4.000 से 0.400 कि०मी०	भरथापुर (बहराइच), बाबापुरवा, जसनगर, फौआरी बाबा	8.000 से 0.500 कि०मी०

आज्ञा से,
दिव्य प्रकाश गिरि,
सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 446/XXIII-II-2026-14(SA)-26, dated July 30, 2026 for general information :

No. 446/XXIII-II-2026-14(SA)-26

Dated Lucknow, July 30, 2026

WHEREAS the State Government is of the opinion that a new public ferry is needed on the Mohan River and Karnali River at Kodyala Ghat in District Lakhimpur Kheri;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clauses (c) and (d) of Section 4 of the Northern India Ferries Act, 1878 (Act no. 17 of 1878), the Governor is pleased to establish, with effect from the date of publication of this notification in the Official *Gazette*, a new public ferry on the Kodyala Ghat in District Lakhimpur Kheri within its limits as shown in the Schedule below;

Under section 6 of the aforesaid Act, the Governor is further pleased to direct that with effect from the aforesaid date, the immediate superintendence of the aforesaid public ferry at Kodyala Ghat in District Lakhimpur Kheri shall vest in the Superintending Engineer, Sitapur/Kheri Circle, Lok Nirman Vibhag, Sitapur.

SCHEDULE

Name of District	Name of the Pargana on both sides of the River	Name of Village on both banks of the River	Name of the River on which ferry is to be established	Name of the Ferry
1	2	3	4	5
Lakhimpur Kheri	Nighasan/Mhipurwa (Bahraich)	Chaugurji, Kodyala Ghat Gurudwara, Janakpur, Babapurwa, Jasnagar, Fauari Baba, Bharthapur (Bahraich)	Mohana River and Karnali River	Kodyala Ghat

Class of Ferry	Limit of Ferry				
	Bank Edge	Upstream	Distance	Down Stream	Distance
6	7	8	9	10	11
"B"	Left Right	Chaugurji, Kodyala Ghat Gurudwara, Janakpur	4.000 to 0.400 Km.	Bharathapur (Bahraich), Babapurwa, Jasnagar, Fauari Baba	8.000 to 0.500 Km.

By order,
DIVYA PRAKASH GIRI,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 456 राजपत्र-2026-(1127)-599+50+5+5=659 प्रतियाँ (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।